रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 1987/चैत्र 26, 1909
No. 186] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 1987/CHAITRA 26, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

का. आ. 395(अ):—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते, हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 1 अप्रैल,

1987 में प्रकाशित भारत सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 278(अ) तारीख 31 मार्च, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

उक्त अधिसूचना में—

(क) क्रम संख्यांक 68 और उससे संबंधित प्रविष्टियों क पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"68 क. प्रोफेसर एस. सम्पत,
829, एशियाद विलेज"
नई दिल्ली-110049"

(ख) क्रम सं. 69 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"69 क. चौधरी अमर सिंह, अधिवक्ता
कुरुक्षेत्र (हरियाणा)।"

[सं. 11(48)/86-आई. एस. आई.]
पी. एन. कौल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना का. आ. सं. 278(अ) तारीख 1 अप्रैल, 1987 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 16th April, 1987

NOTIFICATION

S.O. 895 (E) :—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Food & Civil Supplies (Department of Civil Supplies) No. S. O. 278 (E) dated the 31st March 1987 published in the Gazette of

India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 1st April, 1987 :—

In the said notification, —

(a) after serial number 68 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"68A. Prof. S. Sampath,
329, Asiad Village,
New Delhi-110049."

(b) after serial number 69 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"69A. Ch. Amar Singh, Advocate, Kurushetra (Haryana)."

[No. 11 (48) |86-ISI]

P. N. KAUL, Economic Adviser

NOTE :—The principal notification was published vide No. S.O. 278 (E) dated the 1st April, 1987.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987